75

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 3524–दो/2016 पुनरावलोकन – विरुद्ध आदेश दिनांक 05–09–2016 पारित द्वारा तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 846–दो/2014 निगरानी

पुजारी मुरली मनोहर मंदिर
शुलभकुमार पुत्र खच्चूलाल शर्मा
निवासी नईसराय तहसील नईसराय
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

1– श्यामबाबू पुत्र कल्याण प्रसाद श्रीवास्तव
(मृत वारिस)
अ. श्रीमती आशावाई पत्नि स्व. श्यामबाबू
ब. ऋृति पुत्री स्व. श्यामबाबू श्रीवास्तव
स– हर्षित पुत्र स्व. श्यामबाबू निवासीगण
बोहरे कालोनी विदिशा रोड अशोकनगर
2– ओमप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद श्रीवास्तव
3– राजेश पुत्र कल्याण प्रसाद श्रीवास्तव
4– विमला देवी पत्नि स्व. रमेश कुमार श्रीवास्तव
5– रूपेन्द्र पुत्र स्व. रमेश कुमार श्रीवास्तव
6– रीतेश पुत्र स्व. रमेश कुमार श्रीवास्तव
7– दीपेश पुत्र स्व. रमेश कुमार श्रीवास्तव
8– सुश्री ज्योति पुत्री स्व. रमेश कुमार श्रीवास्तव
9– शँभू पुत्र नन्नूलाल श्रीवास्तव
10–श्याम पुत्र नन्नूलाल श्रीवास्तव
11–ओमप्रकाश पुत्र नन्नूलाल श्रीवास्तव
12–राजेश पुत्र नन्नूलाल श्रीवास्तव
13–शंभू पुत्र कल्याण श्रीवास्तव
सभी निवासी बोहरे कालोनी विदिशा रोड अशोकनगर
14–सुश्री नर्वदी पुत्री नन्नूलाल श्रीवास्तव
पत्नि केशवनारायण श्रीवास्तव निवासी
हनुमानगंज नई बस्ती हीर फाटक 1 गली
ग्राम कुरवाई तहसील कुरवाई जिला विदिशा —अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)

(अनावेदक 4 से 6 एंव 15 से 17 के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

(अनावेदक 1 से 3, 7 से 14 सूचना उपरांत अनुस्थित–एकपक्षीय)

कृ0पृ0उ0–2

आ दे श

(आज दिनांक 14 – 9 –2017 को पारित)

तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 846–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–9–16 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर अशोकनगर को आवेदन प्रस्तुत मांग की कि नईसराय में भूमि सर्वे नंबर 633 रकबा 0.167 हैक्टर है जिसके क्षेत्रफल 36x22 पर मंदिर श्री मुरली मनोहर बना है । निकट की भूमि सर्वे क्मांक 629 रकबा .031 हैक्टर शासकीय है जिस पर रमेश कुमार वगैरा के नाम की अवैध प्रविष्टि की गई है, जिसे निरस्त किया जावे। कलेक्टर अशोकनगर ने तहसीलदार ईसागढ़ से जॉच कराई। तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि स.क्र. 630 रकबा 0.010 पर शासकीय कुआ है एंव सर्वे नंबर 631 रकबा 0.021 हैक्टर आवादी, 633 रकबा 0.167 आवादी है जो मंदिर की भूमि है इसलिये सर्वे क्मांक 629 रकबा .031 पर रमेश कुमार वगैरह के नाम की गई अवैध निरस्त किये जाने की अनुसॅशा की गई।

कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण 7 बी 121/2010–11 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28–6–12 पारित किया एंव ग्राम नईसराय की भूमि सर्वे नंबर 630 रकबा 0.010 पर शासकीय कुआ है एंव सर्वे नंबर 631 रकबा 0.021 हैक्टर आवादी, 633 रकबा 0.167 आबादी मंदिर की भूमि होना मानते हुये भूमि सर्वे क्मांक 629 रकबा .031 है. पर रमेश कुमार वगैरह के नाम हुई अवैध प्रविष्टि निरस्त करते हुये पूर्ववत वगीचा व शासकीय मान्य किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्मांक 709/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31–1–2014 से कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 28–6–12 निरस्त कर दिया एंव अपील स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई।

तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 846-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-9-16 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के पुनर्विलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये। अनावेदक 1 से 3, 7 से 14 सूचना उपरांत अनुस्थित रहने से एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनॉक 31-1-2014 एंव तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के पारित आदेश दिनांक 5-9-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ने कलेक्टर जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 28-6-12 को इस आधार पर निरस्त किया हैः-

" माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक डब्ल्यू0पी0 4252/07 में पारित आदेश दिनांक 16-1-2009 के होते हुये भी कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 28-6-12 पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-1-09 का अंश उद्धरण इस प्रकार है -

From the facts mentioned by the respondents- State in th retun, it is clear that there is no encrocachment over the land as mentioned by the petitioner.In such circumstances, this Court can not issue any direction with regard to removal of encroachment because there is a dispute of findings of facts. If the petitioner has any grievance, he may file a civil suit.

Hence, I do not find any merit in thes petition. It is hereby dismissed with the observation made above. No Order as to cost.

उक्त के प्रकाश में यदि प्रकरण के तथ्यों पर गौर किया जाय - माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में merit के आधार पर पिटीशन खारिज नहीं की है एंव माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में पक्ष प्रस्तुत एंव तदाशय का उपचार प्राप्त होना उल्लेखित किया है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 28-6-12 में निकाले गये जिन निष्कर्षो के आधार पर कलेक्टर जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 28-6-12 को निरस्त किया है, अपर आयुक्त के निष्कर्ष कलेक्टर जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 28-6-12 में निकाले गये सही निष्कर्षो के अनुकूल नहीं पाये गये है । निगरानी प्रकरण में विचार करते समय उपरोक्त पर

तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर की दृष्टि चूक होने से विचार नहीं हो पाया, जिसके उनसे कारण आदेश दिनांक 5-9-16 पारित करते समय भूल हुई है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 709/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31-1-2014 तथा तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 846-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-9-16 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के स्वत्व का व्यवहार वाद माननीय प्रथम सिविल जज वर्ग-2 अशोकनगर के न्यायालय में क्रमांक 23 ए/14 पर दर्ज होकर सुनवाई में है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है। फलतः जब तक माननीय व्यवहार न्यायालय से वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व का निराकरण नहीं होता है वादग्रस्त भूमि के संबंध में कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण 7 बी 121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 28-6-12 प्रभावी रहेगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 846-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-9-16 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 709/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31-1-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार ~~स्वीकार~~ किया जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर